न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 07 / 2023(जी.सी.एम.एस. 2023 / 307)

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थीगण
1. नरोतम कुमार पुत्र गुलाब राम जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।	1. जयचन्द पुत्र दोना राम जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 2. रमेश चन्द पुत्र भगवानदास जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 3. रमेश चन्द्र पुत्र भगवानदास जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 4. राधा बाई पुत्री भगवानदास जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 5. सुखचैन सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 6. मखन सिह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 7. भगवानदास पुत्र बूला राम जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 8. रामलाल पुत्र बूला राम जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 9. दयाल चन्द पुत्र बूला राम जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 10. खजान चन्द पुत्र बूला राम जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 11. प्रेम कुमार पुत्र मखन लाल जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 12. सुनीता रानी पत्नी विनोद कुमार जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 13. सीता देवी पत्नी जगदीश कुमार जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 14. दीवान चन्द पुत्र बूला राम जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 15. ईश्वर देवी पुत्री महताब राम जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 16. निर्मल चन्द पुत्र महताब राम जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 17. बाघा बाई पत्नी महताब राम जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 18. बिशनो देवी पुत्री महताब राम जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 19. विमला देवी पुत्री महताब राम जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 20. शांति पुत्री महताब राम जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 21. शिमला देवी पुत्री महताब राम जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 22. कृष्णा देवी पत्नी लाल चन्द जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 23. सुनील कुमार पुत्र लालचन्द जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 24. हमीश कुमार पुत्र जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 25. आशा देवी पुत्री रामचन्द्र जाति कम्बोज निवासी 54

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

	एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 26. जयप्रकाश पुत्री रामचन्द्र जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 27. बिरमा बाई पुत्री रामचन्द्र जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 28. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामचन्द्र जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 29. राधा कृष्ण पुत्र रामचन्द्र जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 30. सुभाष चन्द्र पुत्र गुलाबाराम जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 31. सुहागो बाई पत्नी गुलाबाराम जाति कम्बोज निवासी 54 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 32. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–15.05.2023

उपस्थितः **1.श्री मनीष जागिंड, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता प्रार्थी**
2.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3.श्री नन्दलाल सेजू अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 7ता16,18ता21, 23, 25 ता 31

––निर्णय–– **दिनांक :16.10.2023**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 54 एफ, पटवार मण्डल 56 एफ, की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 105, 163, 67, 18, 123, 249, 250, 71, 103, 16, 159, 193 में नहरी कृषि भूमि प्रार्थी व उसके परिवार अप्रार्थी संख्या 7 से 31 के नाम से राजस्व रिकार्ड में एकल खाता में दर्ज है। उक्त वर्णित खाता में दर्ज मुरब्बा नं0 116 की कुल कृषि भूमि पर प्रार्थी व उसके परिवार अप्रार्थी संख्या 7 से 31 अपने अपने हिस्सानुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी व उसके परिवार अप्रार्थी संख्या 7 से 31 एक ही परिवार के सदस्यगण है तथा एक ही गांव में निवासरत है। प्रार्थी व उसके परिवार अप्रार्थी संख्या 7 से 31 को अपने मुरब्बा नम्बर 116 में भूमि काश्त करने के लिए आने-जाने के लिये यानि अपनी जोतों तक पहुचंने के लिये कोई वैकल्पिक या विशिष्ट रूप से मार्ग विद्यमान नही है। इसलिए प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों को अपने मुरब्बा नम्बर 116 में पहुंचने के लिए मुरब्बा नं0 113 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक किला के पश्चिम की ओर दो-दो बिस्वा यानि 16 फुट मार्ग स्वीकृत किया जाना प्रार्थी व उसके परिवार के लिए अत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और इस मार्ग के अतिरिक्त विशिष्ट रूप से या वैकल्पिक रूप से मार्ग या साधन का अभाव हैं। चक 54 एफ के मुरब्बा नम्बर 113 का किला नं0 1, 10, 11 अप्रार्थी संख्या 1 जयचन्द, किला नं0 20, 21/1 अप्रार्थी संख्या 5 सुखचैन सिंह एवं किला नं0 21/2 अप्रार्थी संख्या 6 मखन सिंह के नाम से राजस्व अभिलेख में पृथक-पृथक दर्ज है एवं उनके ही कब्जा काश्त में है। इस कारण उक्त काश्तकारो को बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार बनाया गया है। चक 54 एफ के मुरब्बा नम्बर 113 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में पिछले 20-25 वर्षो से घरेलू तौर पर काश्तकार की सहमति से रास्ता विद्यमान था, जिसका उपयोग व उपभोग मुरब्बा नम्बर 116 के काश्तकार कर, अपने कृषि यंत्र, आवाजाही किया करते थे, लेकिन उक्त रास्ता आज तक चालू अवश्य था, लेकिन उसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता मौका पर पिछले 20-25 वर्षो से निरंतर, निर्बाध व शांतिपूर्वक रूप से चालू है। मुरब्बा नम्बर 99 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में दो-दो बिस्वा सरकारी मार्ग स्वीकृशुदा है, जो कि मुरब्बा नम्बर 99 के किला नम्बर 21 में जाकर समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात् मुरब्बा नम्बर 113 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 की दो-दो बिस्वा भूमि में से होकर, प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्य व उनके पूर्वज मुरब्बा नम्बर 116 में काश्त हेतु आवागमन करते थे। मुरब्बा नम्बर 113 के किला नम्बर 1 से 5 की उतर दिशा में पक्का खाला बना हुआ है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 7 ता 31 व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के मध्य गांव में पंचायत हुई। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 से प्रस्तावित रास्ता छोडे जाने की मांग की तो, उन्होने स्पष्ट कहा कि हम आपको आने जाने के लिए किसी प्रकार से मार्ग स्वीकृत नही करवायेगे और हम आपको अपनी भूमि में से आने जाने नही देंगें और

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)

कहने लगे कि वह तो संचालित मार्ग को बंद करने के लिए जल्द ही उक्त भूमि में फसल बिजान या निर्माण इत्यादि करके, रास्ता अवरूद्ध कर देगे, यदि तुमने कोई कोशिश भी की तो हम उक्त भूमि को सिविल न्यायालय में विवादित करके, स्थगन प्राप्त भी कर सकते है, जिसके पश्चात् आप कभी भी मार्ग तो क्या, आने जाने के लिए भी मिन्नते करोगे। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प आवेदक के पास शेष नहीं रहा। यही वाद कारण है। अप्रार्थी संख्या 7 ता 31 प्रार्थी के साथ उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के मार्ग को स्वीकृत करवाने हेतु तत्पर है, लेकिन आज वह उक्त प्रकरण पेश करने के लिए उपस्थित होने में असमर्थ है। इस कारण उनको प्रार्थना पत्र में बतौर पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 54 एफ के मुरब्बा नम्बर 113 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 मे प्रत्येक में 2-2 बिस्वा भूमि रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्ठि करने के आदेश तहसीलदार राजस्व श्रीकरनपुर को जारी करने की कृपा करें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 व 2, 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा उपस्थित आए, अप्रार्थी संख्या 7 ता 16, 18 ता 21, 23, 25 ता 31 की ओर से अधिवक्ता श्री नन्दलाल सेजू उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार यह कहना गलत है कि अप्रार्थी संख्या 7 ता 31 को अपने मुरब्बा नम्बर 115 को काश्त करने के लिए वैकल्पिक मार्ग विद्यमान ना हो और यह कहना भी गलत है कि चक 54 एफ के मुरब्बा नम्बर 1,10,11,20,21 में पिछले 20 वर्षो से घरेलू सहमति से कोई रास्ता विद्यमान हो और उक्त रास्ता का उपयोग एंव उपभोग मुरब्बा नम्बर 116 के काश्तकार कर रहे हो। सही तथ्य इस प्रकार है कि चक 54 एफ के मुरब्बा नम्बर 113 में कोई भी रास्ता मौका पर विद्यमान नहीं है और प्रार्थी राजनीतिक द्वेष भावना से मुझ अप्रार्थी एंव शेष अप्रार्थीगण की भूमि में जबरदस्ती रास्ता खोलना चाहते है। जबकि प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 7 ता 31 की मुरब्बा नम्बर 116 की भूमि को काश्त करने के लिए जो सबसे सुविधाजनक रास्ता है, वह रास्ता मुरब्बा नम्बर 115 में नहर के पटडे साथ-साथ होते हुए मुरब्बा 115 के किला नम्बर 24 व 25 से होते हुए मुरब्बा नम्बर 116 में जाता है। उक्त रास्ता सबसे छोटा, सुलभ एंव नजदीक है और माननीय न्यायालय द्वारा मुरब्बा नम्बर 116 को काश्त करने के लिए अगर कोई रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मुरब्बा नम्बर 115 के किला नम्बर 24, 25 में मंजूर किया जाना न्याय संगत है। माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश श्रीकरणपुर में मुरब्बा नम्बर 113 के किला नम्बर 1 का फर्जी व कूटरचित इकरारनामा तरसेम सिंह द्वारा तैयार करके गलत तथ्यों के आधार पर गलत दावा पेश किया है व तरसेम सिंह के द्वारा गलत तथ्य रखकर स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है। जबकि उक्त रकबा राजस्व रिकॉर्ड में आज भी मेरे नाम दर्ज है, में कोई रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी को प्रार्थी नरोतम कुमार के कब्जा की इसी चक 54 एफ के मुरब्बा नम्बर 110 के किला नम्बर 4 में भूमि के बदले दुगुनी भूमि दिलाये जाने के आदेश पारित किए जाने न्याय संगत है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश करके अर्ज है कि प्रार्थना आधारहीन होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 7 ता 16, 18 ता 21, 23, 25 ता 31 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर चक 54 एफ के मुरब्बा नम्बर 113 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा भूमि रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए जाते है, तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति व एतराज नहीं हैं। प्रार्थी तरसेम सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात प्रस्तुत कर न्यायालय को अवगत करवाया कि उक्त प्रकरण में न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश श्रीकरणपुर द्वारा पारित स्थगन आदेश अनवान तरसेम सिंह बनाम जयचन्द प्रकरण संख्या 20/2023 में दिनांक 02.06.2023 स्थगन आदेश प्रभावी है। इसलिए उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही ना की जावे। अप्रार्थी संख्या 2, 4 की ओर से वकालतनामा पेश नहीं करने व अपार्थी संख्या 5, 6 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 17, 22, 24 की तलवी नहीं हुई है, परन्तु प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है कि उक्त प्रस्तावित मार्ग को मंजूर किये जाने की सूरत में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित प्रतिकर राशि विहित रीति से संदाय करने के लिए

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

प्रार्थी व उसके परिवार अप्रार्थी संख्या 7 ता 31 पाबन्द रहेगे तथा विकल्प के तौर पर भूमि के बदले भूमि देने के लिए भी प्रार्थी व उसके परिवार अप्रार्थी संख्या 7 ता 31 तैयार व तत्पर रहेगे। इसलिए अप्रार्थी संख्या 17, 22, 24 की तलवी की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई खारिज फरमाया गया।

3. उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2023/768 दिनांक 08.06.2023 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एतराज जाहिर किया कि वैकल्पिक रास्ता के संबध में पुनः रिपोर्ट तलब की जावे। न्यायालय हाजा के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीकरणपुर से पुनः रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा क्रमांक/राजस्व/2023/994 दिनांक 19.09.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा एतराज जाहिर किया कि रिपोर्ट व नजरी नक्शा स्पष्ट नहीं है। इसलिए रिपोर्ट पुनः मंगवाई जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा क्रमांक / राजस्व / 2023/1022 दिनांक 27.09.2023 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक जोरावरसिंहपुरा मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक जोरावरसिंहपुरा व पटवारी हलका 56 एफ द्वारा चक 54 एफ के मुरब्बा नम्बर 99, 113, 115, 125 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थी के द्वारा आराजी मुरब्बा नम्बर 116 तक पहुंचने के लिए चक 54 एफ के मुरब्बा नम्बर 113 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से रास्ते की मांग की गई है। यह रास्ते की मांग व्यवहारिक है व मौका पर चालु है। प्रार्थी के रकबा चक 54 एफ के मुरब्बा नम्बर 116 में पंहुचने के लिए अन्य विकल्प है। प्रथम विकल्पः- मुरब्बा नम्बर 115 के किला नम्बर 23, 24, 25 जो मुरब्बा नम्बर 116 के किला नम्बर 21 के चिपता है। मुरब्बा नम्बर 115 किला नम्बर 23 एफ सी माईनर के कच्चे पटडे से चिपता है। पटडे पर झाड-झखाड उगे हुए है। जिसके कारण एफ सी माईनर के कच्चे पटडे से आवागमन बाधक हैं। इन कारणों से यह रास्ता अव्यवहारिक है। द्वितीय विकल्पः- मुरब्बा नम्बर 125 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 का किला नम्बर 5 मुरब्बा नम्बर 116 के चिपता है तथा मुरब्बा नम्बर 125 के किला नम्बर 25 में से पक्की सडक निकलती है। जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी द्वारा की गई रास्ता की मांग अत्यातिंक है।

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार हैः-" कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।"

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 7 ता 31 राजस्व ग्राम 54 एफ के मुरब्बा नम्बर 116 के अभिलिखित खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 113 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा प्रस्तुत भू.अ.नि. क्षेत्र की मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता के अलावा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 7 ता 31 के पास अपने रकबा चक 54 एफ के मुरब्बा नम्बर 116 को काश्त करने के लिए अन्य दो वैकल्पिक मार्ग दर्शाए है। प्रथम वैकल्पिक मार्ग में मुरब्बा नम्बर 115 के किला नम्बर 23, 24, 25 में से होते हुए प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 7 ता 31 अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 116 के किला नम्बर 21 में प्रवेश कर सकते है। परन्तु मुरब्बा नम्बर 115 का किला नम्बर 23 एफ सी माईनर के कच्चे पटडे से चिपता है। पटडे पर झाड-झखाड उगे हुए है। जिसके कारण एफ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

सी माईनर के कच्चे पटडे से आवागमन बाधक हैं। इन कारणों से यह रास्ता अव्यावहारिक है। द्वितीय वैकल्पिक मार्ग में मुरब्बा नम्बर 125 के किला नम्बर 25, 16, 15, 6 में से होते हुए प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 7 ता 31 मुरब्बा नम्बर 116 के किला नम्बर 25 में पंहुच सकते है। परन्तु मुरब्बा नम्बर 125 के किला नम्बर 25 में से पक्की सडक निकलती है। जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। रिकॉर्डड मार्ग से ही नवीन मार्ग स्वीकृत किया जा सकता है। लिहाजा भू.अ.निरीक्षक द्वारा प्रस्तावित रास्ता के अलावा दिए गए दोनो वैकल्पिक मार्ग व्यावहारिक नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 7 ता 31 तक अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 116 तक पंहुचने के लिए मुरब्बा नम्बर 113 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 से प्रस्तावित रास्ता व्यावहारिक व मौका पर चालू है। यह प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 7 ता 31 की अत्यातिंक आवश्यकता है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 7 ता 31 की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। चाहा गया रास्ता मात्र सुविधा के लिए नहीं है। साथ ही प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दर्ज आपत्तियां निराधार एंव सारहीन होने से अस्वीकार्य है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी का स्वीकार करने योग्य है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 54 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 113 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की पश्चिमी बट के साथ-साथ उतर से दक्षिण दो-दो बिस्वा भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश श्रीकरणपुर में चक 54 एफ के मुरब्बा नम्बर 113 के किला नम्बर 1 के इकरारनामा बाबत प्रकरण संख्या 20/2023 अनवान तरसेम सिंह बनाम जयचन्द विचाराधीन है। इसलिए मुरब्बा नम्बर 113 के किला नम्बर 1 की पश्चिमी बट के साथ 2 बिस्वा स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करना व प्रतिकर राशि हितबद्व को भुगतान करना न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश श्रीकरणपुर में विचाराधीन प्रकरण के निर्णय के अध्यधीन रहेगा। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 113 के किला नम्बर 10, 11, 20, 21 की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर 182160/- रुपए प्रार्थी से वसूलकर हितबद्व अप्रार्थी संख्या 1 जयचन्द, अप्रार्थी संख्या 2 रमेश चन्द, अप्रार्थी संख्या 4 राधा बाई, अप्रार्थी संख्या 5 सुखचैन सिंह, अप्रार्थी संख्या 6 मखन सिंह को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही मुरब्बा नम्बर 113 के किला नम्बर 10, 11, 20, 21 में रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्व अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्व अप्रार्थीगण इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 16.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005 ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– रीडर/2023/517 दिनांक :– 16.10.2023

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः– प्रकरण संख्या 07/2023 अनवान नरोतम कुमार बनाम जयचन्द आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 16.10.2023 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2023 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 व अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम वखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 54 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 113 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक की पश्चिमी बट के साथ-साथ उतर से दक्षिण दो-दो बिस्वा भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश श्रीकरणपुर में चक 54 एफ के मुरब्बा नम्बर 113 के किला नम्बर 1 के इकरारनामा बाबत प्रकरण संख्या 20/2023 अनवान तरसेम सिंह बनाम जयचन्द विचाराधीन है। इसलिए मुरब्बा नम्बर 113 के किला नम्बर 1 की पश्चिमी बट के साथ 2 बिस्वा स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करना व प्रतिकर राशि हितबद्ध को भुगतान करना न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश श्रीकरणपुर में विचाराधीन प्रकरण के निर्णय के अध्यधीन रहेगा। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 113 के किला नम्बर 10, 11, 20, 21 की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर 182160/- रुपए प्रार्थी से वसूलकर हितबद्ध अप्रार्थी संख्या 1 जयचन्द, अप्रार्थी संख्या 2 रमेश चन्द, अप्रार्थी संख्या 4 राधा बाई, अप्रार्थी संख्या 5 सुखचैन सिंह, अप्रार्थी संख्या 6 मखन सिंह को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही मुरब्बा नम्बर 113 के किला नम्बर 10, 11, 20, 21 में रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्ध अप्रार्थीगण उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्ध अप्रार्थीगण इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}